न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिदार्थनगर।

प्रकीर्ण फौ०वाद सं०–887/2022

रामपुजारी—बनाम–––हरीराम आदि ।

थाना–शोहरतगढ़,जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–12.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकारा करायी गयी। आवेदक अनुपस्थित। आवेदक विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है। आवेदक की ओर से न आवेदक और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है और न ही आवेदक की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र या हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सन् 2020 तक के समस्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० को दिनांक–14.08.2024 तक एवं दिनांक–20.06.2024 तक पंजीकृत समस्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० को दिनांक–30.09.2024 तक निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण हेतु आज्ञापक आदेश पारित किया गया है।

दिनांक–19.07.2024 को श्रीमान् अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल सिद्धार्थबार एसोसिएशन, सिद्धार्थनगर को पत्र प्रेषित किया गया कि सभी अधिवक्तागण को आदेशित करने का कष्ट करें कि अधिवक्तागण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० पर नियत तिथि एवं नियत समय पर न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० का निस्तारण अनुपस्थिति के आधार पर न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने वाद को आगे चलाये जाने में कोई रूचि नहीं है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० पर बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

(श्रद्धा भारतीया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सिद्धार्थनगर।

जे०ओ०कोड–यू०पी०–1964